



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15110

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1760/2026

आवेदक: तेज प्रकाश यादव

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील:

शैलेश पांडे

प्रतिवादी के वकील:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक की ओर से श्री शैलेश पांडे, राज्य की ओर से श्री सुनील कुमार, अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अपराध संख्या 451/2025, धाराएँ 109(1), 351(3), 352, 103(1) बी.एन.एस., थाना - चुनार, जिला - मिर्जापुर में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के वकील ने कहा कि समान स्थिति में सह-आरोपी विशाल पांडे को इस न्यायालय ने पहले ही जमानत प्रदान की है, आदेश दिनांक 14.01.2026 क्रिमिनल विविध जमानत आवेदन संख्या 43069/2025 में जारी किया गया। आवेदक 25.09.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी के समान है, अतः समानता (Parity) के आधार पर उसे भी जमानत मिलनी चाहिए।
5. जमानत प्रार्थना का राज्य की ओर से कड़ा विरोध किया गया। तथापि सह-आरोपी के साथ समानता और आवेदक के बिना आपराधिक इतिहास होने के तथ्य विवादित नहीं किए गए।
6. मामले के तथ्यों, पक्षकारों की दलीलों और अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात, निम्नलिखित निर्णयों का ध्यान रखा गया:
 - सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, **MANU/SCOR/22410/2021**
 - उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का निर्णय: नन्हा पुत्र नभन खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **1993 Cri.L.J. 938**
 - सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 **SCC OnLine SC 825**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इनका अवलोकन करते हुए और मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय यह मानता है कि आवेदक ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। अतः जमानत आवेदन समानता (Parity) के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

7. आवेदक - तेज प्रकाश यादव, जो उक्त अपराध में संलग्न है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती प्रस्तुत करें, न्यायालय की संतुष्टि अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
- iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन इस न्यायालय में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

9. बांड स्वीकार करने से पूर्व आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जांच न्यायालय द्वारा की जाएगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

21 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।